

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 7.3.84

NOTIFICATION  
INCOME TAX

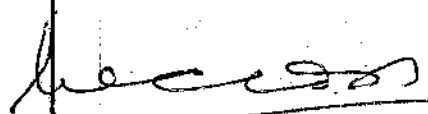
Nb. 5701 (F.No.203/10/84-ITA.II): In continuation of this office Notification No.5118 (F.No.203/176/82-ITA.II) dated 2-3-83, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions:-

- i) That the Organon Research Centre, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- ii) That the said association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year
- iii) That the said association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

ORGANON RESEARCH CENTRE, CALCUTTA

This notification is effective for a period of one year from 30-12-1983 to 29-12-1984.

  
(M.G.C. GOYAL)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7.3.84

अधिसूचना  
(आयकर)

सं० 5701 (फा० सं० 203/10/84-आ०कर (नि०-11) : इस कार्यालय की दिनांक 21-3-83 की अधिसूचना सं० 5118 (फा० सं० 203/176/82-आ०कर (नि०-11) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर विधम 1962 के नियम 6 के तहत पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (11) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्रकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" पत्रिका के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :--

1. यह कि आर्गनन रिसर्च सेंटर, कलकत्ता वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।
2. यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी प्रकाशनों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संका में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगी कि इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे स्वीकृत किया जाए।
3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन - पत्र की एक-एक प्रति, दिनांक 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर अधिकृत को भेजेगा।

संस्था

आर्गनन रिसर्च सेंटर, कलकत्ता

यह अधिसूचना 30-12-1983 से 29-12-1984 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

मदन गोयल  
(सचिव, राजस्व विभाग, भारत सरकार)  
अवर सचिव, भारत सरकार